खबर कोना

डीयू : स्नातक दाखिले के दूसरे दौर में 87,000 से ज्यादा सीटें आबंटित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आबंटन की दूसरी सूची जारी कर दी। कामन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस-यूजी) 2025 के तहत कुल 87,335 छात्रों को विभिन्न कालेजों और कार्यक्रमों में सीटें आबंटित की गईं। हालांकि यह अंतिम दाखिला आंकड़ा नहीं है। विवि के अनुसार, नए दौर में 24,843 नए आबंटन हुए, जबकि 27,314 छात्रों को उच्च वरीयता में अपग्रेड किया गया, जो पहले दौर के बाद हुए महत्त्वपूर्ण आंतरिक फेरबदल को दर्शाता है। इसके अलावा 17,922 उम्मीदवारों ने अपनी पहले से आबंटित सीटों को पक्का करने का विकल्प चुना। ये बदलाव पहली सूची के बाद 43,741 छात्रों द्वारा अपग्रेड का विकल्प चुनने के बाद आए, जिसमें 69 कालेजों और 79 कार्यक्रमों में उपलब्ध 71,624 स्नातक सीटों के लिए 93,166 सीटों के प्रस्ताव दिए गए थे।

बहन से बातचीत करने पर की गई थी धामर की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

उत्तम नगर थाना क्षेत्र में बदमाश धामर उर्फ फिरोज खान की लठी-डंडों से पीट-पीट कर और कंक्रीट के ब्लाक से सिर पर वार कर हत्या करने वाले आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पिछले दस जुलाई की रात करीब 10:45 बजे वारदात को अंजाम दिया था और सभी मौके से फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओरैया, उत्तर प्रदेश निवासी विशाल उर्फ बउवा (23) के तौर पर की गई है। अपराध शाखा के उपायुक्त हर्ष इंदौरा ने सोमवार को बताया कि पिछले दस जुलाई की रात आरोपी विशाल, सोनू, टिंकू उर्फ करंट, गोपाल उर्फ संदीप और राहुल माहतो ने मिल कर विक्की टक्कर गिरोह के सक्रिय गुर्गा धामर उर्फ फिरोज खान की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि सोनू की बहन से धामर लगातार बातचीत कर रहा था। उसे कई बार कहा गया था कि वह बातचीत नहीं करे। पर नहीं माना तो सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और हत्याकांड को अंजाम दिया।

उपराज्यपाल ने किया 'आरंभ' पुस्तकालय का उद्घाटन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को द्वारका सेक्टर 16-बी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित पुस्तकालय 'आरंभ' का उद्घाटन किया। यह इस शृंखला का तीसरा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की खास बात यह है कि ये सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे खुला रहेगा और 8 घंटे की शिफ्ट में लगभग 200 छात्रों के बैठने की व्यवस्था होगी। यही नहीं प्रति शिफ्ट मासिक शुल्क 1000 रुपए रखा गया है। पुस्तकालय में वाई-फाई, लाकर, सीसीटीवी निगरानी, कैफेटेरिया, ओपन जिम, बाहर बैठने का स्थान व रनिंग ट्रैक तक बनाया गया है। बता दें कि 'आरंभ पुस्तकालय' राजिंदर नगर में बाढ़ प्रभावित बेसमेंट में बने पुस्तकालय में जान गंवाने वाले तीन छात्रों की पहली बरसी पर बनाया गया है। इससे पहले 5 जनवरी, 2025 को ओल्ड राजिंदर नगर में पहले पुस्तकालय का सफल उद्घाटन किया गया था।

बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस डिपो के पास सोमवार को बस की टक्कर से 25 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब साढ़े दस बजे स्वामी विवेकानंद मार्ग पर हुई। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक सोमवार सुबह मधु विहार पुलिस थाने में दुर्घटना के संबंध में एक फोन आया। तुरंत पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और सड़क पर एक क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल, एक सरकारी बस और एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कृष्णा नगर के राम नगर एक्सटेंशन निवासी मयंक खुराना के रूप में हुई है। वह एक निजी कंपनी में कर्मचारी था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मयंक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था, तभी तेज गति से आ रही एक सरकारी बस ने उसे टक्कर मार दी।

निर्माणाधीन बारापुला उपरगामी मार्ग परियोजना की जांच करेगी एसीबी

ठेका कंपनी को दिए गए 175 करोड़ रुपए की होगी छानबीन: मुख्यमंत्री

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में हुई वित्त व्यय समिति की बैठक में निर्माणाधीन बारापुला उपरगामी मार्ग के तीसरे चरण की समीक्षा की। इस दौरान परियोजना के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं और ठेकेदार कंपनी को 175 करोड़ रुपए के भुगतान की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे।

बैठक में बारापुला परियोजना में पीडब्लूडी की लापरवाही पर भी चर्चा की गई और विभिन्न कारणों से इसमें हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजना जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार को धनराशि का भुगतान इसलिए करना पड़ा, क्योंकि पूर्व सरकार ने कंपनी को काम नहीं करने दिया था। यह उपरगामी मार्ग बारापुला नाले से शुरू होकर सराय काले खां होते हुए मयूर विहार फेज-तीन तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि परियोजना शीघ्र ही गति पकड़ेगी, क्योंकि मार्ग में आने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति जल्द मिलने वाली है। इससे यह परियोजना समय पर पूरी हो सकेगी और दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के बीच यातायात का आवागमन सुचारू हो जाएगा।

'पूर्व सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप'

मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर पिछली आप-शासित सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अक्तूबर 2017 में पूरी हो जानी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह पिछड़ती गई और मामला मध्यस्थता में चला गया। मध्यस्थता में ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला आया और उसे 120 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया गया। जब कंपनी को यह राशि अदा नहीं की गई, तो वह हाई कोर्ट चली गई। मई 2023 में कोर्ट ने पीडब्लूडी को ब्याज और जीएसटी सहित 175 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया, जिसका भुगतान कंपनी को कर दिया गया। उस दौरान आतिशी पीडब्लूडी मंत्री थीं। मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच से यह भी पता चला है कि उस दौरान ठेकेदार कंपनी चाहती थी कि उसे 35 करोड़ रुपए ही मिल जाएं तो वह विवाद को आगे नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उसे यह राशि अदा नहीं की गई, जिसके बाद विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनियमितता में पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों के भी संलिप्त होने की संभावना है और सतर्कता जांच में उनके कार्यकलापों की भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है।

आस्था — गुरुग्राम के एक मंदिर में सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करते श्रद्धालु।

न्यायालय ने रेबीज फैलने की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया

नई दिल्ली, 28 जुलाई (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज होने की घटनाओं के बारे में मीडिया में आई एक खबर पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने एक अखबार में प्रकाशित समाचार को 'बहुत परेशान करने वाला और चिंताजनक' बताया। पीठ ने कहा कि समाचार में कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य हैं। हर दिन शहर और इसके बाहरी इलाकों में कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं।

'कुत्ता प्रेमी मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं'

पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति व दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर स्वतः संज्ञान लेने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि फोन और सोशल मीडिया पर कुत्ता प्रेमी मुझे धमकियां देते हैं और पशु विरोधी कहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में कुत्तों के प्रति नफरत न बढ़े।

सीएम श्री विद्यालयों में दाखिले के लिए होगी प्रवेश परीक्षा

नई दिल्ली, 28 जुलाई (संवाददाता)।

दिल्ली सरकार ने कहा कि 75 सीएम श्री स्कूलों में से 33 में छठी से आठवीं कक्षा तक में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसने इस प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। शिक्षा निदेशालय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन करेगा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा दो के तहत 'निर्दिष्ट श्रेणी' संस्थानों के रूप में नामित, सीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे और नवीन शिक्षण प्रथाओं के साथ माडल पब्लिक स्कूल बनाना है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रवेश परीक्षा एक 'निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया' होगी तथा केवल दिल्ली में रहने वाले और वर्तमान में 2025-26 सत्र के दौरान दिल्ली स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में छठी से आठवीं कक्षा में नामांकित छात्र ही आवेदन करने के पात्र होंगे। उसमें कहा है कि उपलब्ध सीट में से कम से कम 50 फीसद सीट दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

दिल्ली महिला आयोग निष्क्रिय

एक साल से ठप पड़ा कामकाज

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

राजधानी दिल्ली में महिलाओं की आवाज़ उठाने वाला दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्लू) पिछले लगभग एक साल से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे महिलाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई और सहायता सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आयोग में सदस्यों की कमी के कारण 'रेप क्राइसिस सेल', 'ट्रांसजेंडर सेल', 'एसिड अटैक विक्टिम सेल' सहित हेल्पलाइन के बुरे हालात हैं। कर्मचारियों की कमी झेल रहे डीसीडब्लू में लंबे समय से सदस्य नहीं है। जबकि मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से डीसीडब्लू के पुनर्गठन की घोषणा की थी लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

एक साल पहले तक दिल्ली में महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, दहेज मामले या एसिड अटैक के दौरान डीसीडब्लू दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जल्द मामले को सुलझाने का दबाव बनाती थी लेकिन बीते एक साल से देखने को मिला है कि अब ऐसे मामलों पर कोई नोटिस या दबाव दिल्ली पुलिस पर नहीं बनाया जाता।

डीसीडब्लू में मामला दर्ज करवाने वाली एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके साथ उनके कार्यालय में यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसकी शिकायत के बाद कुछ दिन तक तो मामला तेजी से चला। लेकिन बीते डेढ़ साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी तरह एक ओर शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ डीसीडब्लू में मामला दर्ज करवाया था लेकिन अभी तक वह लटका हुआ है। उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया है लेकिन डीसीडब्लू कार्रवाई ही नहीं कर रहा।

डीसीडब्लू की पिछली उपलब्धियां

पिछले कुछ वर्षों में डीसीडब्लू ने महिलाओं को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंकड़ों के अनुसार, बीते छह सालों में आयोग ने एक लाख से अधिक महिलाओं के मामलों का निपटारा किया था। इसके अलावा:

डेढ़ लाख से अधिक सुनवाई की गईं।
हेल्पलाइन पर 15 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।
अठारह हजार से अधिक यौन उत्पीड़न मामलों में परामर्श प्रदान किया गया।
महिला पंचायतों द्वारा 40 हजार से अधिक बैठकें आयोजित कर महिलाओं को सशक्त किया गया।
नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़ितों को उनके पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद भी दिलवाई गई।

महासंघ की मांग

राजधानी को मिले दिल्ली कैडर का पुलिस आयुक्त

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

दिल्ली के मौजूदा पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है और उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर दिल्ली में गहमागहमी बढ़ गई है।

दिल्ली पुलिस महासंघ ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के अधिकारी को दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि एक ऐसे अधिकारी को यह पद मिलना चाहिए जिसने अपना पूरा करिअर एजीएमयूटी कैडर में बिताया हो, क्योंकि ऐसे अधिकारी दिल्ली की कानून-व्यवस्था और सामाजिक-भौगोलिक जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं।

महासंघ के अध्यक्ष और अवकाशप्राप्त एसीपी वेदभूषण ने कहा कि पहले भी चार बार दिल्ली कैडर से बाहर के अधिकारियों को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाया जा चुका है, जिनमें एसएस जोग (बीएसएफ से प्रतिनियुक्त), अजय राज शर्मा (उत्तर प्रदेश कैडर), राकेश अस्थाना (गुजरात कैडर) और मौजूदा आयुक्त संजय अरोड़ा (तमिलनाडु कैडर) शामिल हैं।

क्या है मौजूदा स्थिति

संजय अरोड़ा को डेढ़ महीने पहले ही राज्यपाल के माध्यम से अवकाशग्रहण की चिट्ठी मिल चुकी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्हें दूसरा कार्यकाल देने के मूड में नहीं है। हालांकि, संसद का सत्र चल रहा है, जिससे यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि संजय अरोड़ा को दो-तीन महीने का विस्तार मिल सकता है, या किसी विशेष आयुक्त को कार्यभार संभालने का आदेश दिया जा सकता है। वर्तमान में, 1988, 1989, 1991, 1992 और 1993 बैच के कम से कम पांच आला पुलिस अधिकारी दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त की दौड़ में शामिल हैं और सभी की निगाहें केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर टिकी हैं।

गाजा मामले पर भारत के रुख की सराहना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 जुलाई।

मुसलिम नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा मामले पर भारत के रुख का स्वागत किया है। प्रमुख भारतीय मुसलिम संगठनों, धार्मिक विद्वानों ने दिल्ली में सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केंद्र सरकार के उस बयान का स्वागत किया जिसमें भारत ने गाजा में चल रहे 'मानवीय संकट' पर चिंता जताते हुए, कहा कि युद्धविराम और सभी बंधकों की रिहाई जरूरी है। मुसलिम नेताओं ने केंद्रीय हुकूमत से इस बाबत त्वरित कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। प्रेस कांफ्रेंस में आल इंडिया मुसलिम पर्सनल ला बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद, मर्कजी जमीयत अहल-ए-हदीस आदि के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बयान जारी कर गजा में गहराते मानवीय संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने भारत सरकार से इजराइल की जारी आक्रामकता को रोकने में अधिक दृढ़ और नैतिक रूप से साहसी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चिंता व्यक्त करने से आगे बढ़कर वैश्विक नैतिक नेतृत्व की भूमिका निभाए।

सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने भारत सरकार से इजराइल की जारी आक्रामकता को रोकने में अधिक दृढ़ और नैतिक रूप से साहसी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(एक नवरत्न सीपीएसई)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लेट - ए, छठी मंजिल, कार्यालय ब्लॉक टॉवर - 2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023 फोन: 011-22900600, फैक्स: 011-22900699, वेबसाइट: www.railtel.in; ईमेल : cs@railtel.in

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L64202DL2000GOI107905

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों के उद्धरण

(रु. लाखो में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025	31.03.2025
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
परिचालन से राजस्व	74,381	55,811	1,30,828	3,47,750
अन्य आय	1,435	1945	2,040	7,354
कुल आय	**75,816**	**57,756**	**1,32,868**	**3,55,104**
शुद्ध लाभ(कर व आपवादिक मदों से पूर्व)	8589	8,430	13,925	42,350
शुद्ध लाभ(कर के पूर्व व आपवादिक मदों के बाद)	8931	6,678	15,119	40,178
कर बाद शुद्ध लाभ	6610	4,867	11,345	29,981
कुल व्यापक आय	6513	4,815	11,112	29,594
ईक्विटी शेयर पूंजी	32,094	32,094	32,094	32,094
अन्य ईक्विटी	-	-	-	1,67,868
प्रति शेयर आय: बेसिक और डायलूटेड (₹ में)	2.06	1.52	3.53	9.34

टिप्पणियां:

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने सोमवार, 28 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ इसके परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.railtel.in और स्टॉक एक्सचेंज (एस) बीएसई (www.bseindia.com/corporates) और एनएसई (www.nseindia.com/corporate) की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं। साथ ही, साथ में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे एक्सेस किया जा सकता है।

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: जुलाई 28, 2025

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
के लिए
हस्ता/-
संजय कुमार
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
DIN- 06923630

एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
सीआईएन: L40101HR1975GOI032564
ईपीएबीएक्स सं . 0129-2588110/2588500
वेबसाइट : www.nhpcindia.com ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in

सूचना

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु)

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("आईईपीएफ नियमावली"), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन शेयरों को कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में कंपनी ने दिनांक 11.07.2025 के अपने पत्र के माध्यम से संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर 01 नवंबर, 2025 के बाद आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हैं, उन्हे उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है कि वे यथाशीघ्र परंतु दिनांक 01 नवंबर, 2025 के बाद नहीं, अपने अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयरधारकों के सुसंगत विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर **निवेशक कॉर्नर → आईईपीएफ विवरण** पर अपलोड किए गए हैं। कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को ही शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि आईईपीएफ नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अंतरित कर दिया जाएगा।

मार्च, 2025 तक जिन शेयरों के लिए लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहा है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। **अंतिम लाभांश 2017-18 के लिए शेयर और लाभांश जो अप्रदत्त/अदावाकृत हैं, उनको दिनांक 01 नवंबर, 2025 के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना हैं।** ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारक अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए पैनकार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति, पते का प्रमाण और अद्यतन क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियों नम्बर का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/या कंपनी को **तत्काल परंतु 01 नवंबर, 2025 के बाद नहीं,** एक औपचारिक पत्र भेज सकते हैं ताकि उनके लाभांश/शेयर आईईपीएफ खाते में अंतरित न किए जाएं। यदि कंपनी/आरटीए को 01 नवंबर, 2025 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से अन्य सूचना दिए बिना शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने हैं, वो कृपया ध्यान दें कि नियमानुसार इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे और वे विक्रेय योग्य नहीं रह जाएंगे।

शेयरधारक www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आईईपीएफ नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों/लाभांश का दावा कर सकते हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अंतरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं रह जाएगा।

कंपनी/आरटीए का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा.121003 टेलीफोन: 0129-2250437 ईपीएबीएक्स नंबर:0129-2588110/2588500 ईमेल: investorcell@nhpc.nic.in वेबसाइट: www.nhpcindia.com	**मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड,** सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31&32, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद रंगारेड्डी, तेलंगाना-500 032 ईमेल: einward.ris@kfintech.com टेलीफोन: 040-67162222 वेबसाइट: www.kfintech.com टोल फ्री नंबर 18003094001

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांक: 29 जुलाई, 2025
स्थान : फरीदाबाद

!!ध्यान दें!!

1. जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना केवाईसी अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी-पैन (आधार से लिंक), पिन कोड के साथ पता, बैंक विवरण, नामांकन, मोबाइल और ईमेल आईडी को डीपी (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में)/आरटीए (भौतिक होल्डिंग के मामले में) के माध्यम से अद्यतन करें।
2. जिन शेयरधारकों का अंतरण अनुरोध दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा के कारण दिनांक 01.04.2019 से पहले अस्वीकृत/वापस कर दिया गया/नहीं लिया गया और जो दिनांक 31.03.2021 तक अंतरण का अनुरोध पुनः दर्ज नहीं कर सके, उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 06.01.2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास इसे पुनः दर्ज करा दें।